आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय,गिरिडीह। BPPHT Appeal No.1/2024 मुनवा देवी–बनाम–राज किशोर तुरी एवं अन्य	आदेश पर गई कार्रवा... बारे मे ... तिथि सहित
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	

25/11/25

अपीलार्थीः– मुनवा देवी पति–स्व0 लक्ष्मण तुरी
सा0–फकीरापहाड़ी, पो0–सरिया, था0–सरिया,
जिला–गिरिडीह।

उत्तरवादीः–1.अनिल तुरी, पिता– मुरारी तुरी,
2.राजकिशोर तुरी, पिता–स्व0 जागेश्वर तुरी,
3.सुखदेव तुरी, पिता–स्व0 जागेश्वर तुरी,
4. मुरारी तुरी, पिता–स्व0 जागेश्वर तुरी
सभी का सा0–फकीरापहाड़ी, पो0–सरिया, था0–सरिया,
जिला–गिरिडीह।

–:आदेशः–

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। प्रस्तुत अपील वाद अंचल अधिकारी, बगोदर के द्वारा वर्ष 1998 में निर्गत वासगीत पर्चा के सदर्भ में लाया गया है।

वादगत भूमि की विवरणी।

अंचल	मौजा	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
सरिया	**सबलपुर**	**106**	**1049**	**4 डी0**

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने वक्तव्यों एवं लिखित आवेदन के माध्यम से अपने पक्ष में मुख्यतः यह बात रखा गया की अचंल अधिकारी, बगोदर के द्वारा दिनाकं 5.5.1998 को लक्ष्मण तुरी, रमण तुरी एवं दुखी तुरी के नाम से वादगत भूमि का वासगीत पर्चा निर्गत किया गया है। अपीलार्थी स्व0 लक्ष्मण तुरी की पत्नी हैं। अपने जीवन काल में ही स्व0 लक्ष्मण तुरी द्वारा वादगत भूमी पर कच्चा मकान बनाया गया था जो वर्त्तमान में क्षतिग्रस्त है, अपीलार्थी वहाँ अपना पक्का मकान बनाना चहाती है जिसके निर्माण में विपक्षीगण द्वारा विवाद किया जा रहा है। अतः विपक्षीगण पर कार्रवाई करते हुए अपीलार्थी के मकान निर्माण की

स्वीकृती दी जाय का अनुरोध किया गया है।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने दावों के समर्थन में वादगत भूमि की वासगीत पर्चा की सत्यापित प्रति, वर्ष 2023–24 का ऑनलाईन लगान रसीद की प्रति एवं वादगत भूमि पर निर्माण कार्य की फाटोग्राफ दायर की गई है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा Rejoinder दायर कर बतलाया गया की अपीलार्थी द्वारा दायर वासगीत पर्चा त्रुटीपूर्ण है एवं वर्त्तामान में विपक्षीगण का वादगत भूमि पर कब्जा है।मूल रैयत तुलवा तुरी द्वारा कभी भी Surrender नहीं किया गया है।अतः आवेदक के द्वारा दायर वाद पोषनीय नहीं है और अस्वीकृत करने योग्य है।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा यह पूछे जने पर कि अपीलार्थीगण प्रश्नगत भूमि पर कब से रह रहै है, इसके उत्तर में विपक्षीगण द्वारा बतलाया गया की यह लोग हमारे बाप–दादा के समय से रह रहे है।

विपक्षी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में पंजी–।। की छायाप्रति, वर्ष 2005–06 का एक लगान रसीद की छायाप्रति एवं मुखिया द्वारा प्रमाणीत वंशावली की छायाप्रति दायर की गई है।

सनुवाई के क्रम में अंचल अधिकारी, सरिया से वादगत भूमि से संबंधित स्थल जाँच का अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गई, जो कि अंचल अधिकारी, सरिया के पत्रांक 274 दिनांक 13.04.2024 के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जिसमे स्पष्ट उल्लेख है कि " वासगीत पर्चा में दर्ज चौहदी, उत्तर–रास्ता, दक्षिण–जानकी तुरी, पूरब–भातु तुरी, पश्चिम–जागेश्वर तुरी दर्ज है। उक्त चहैदी के ही अन्दर पर्चाधारी लक्ष्मण तुरी, रमन तुरी, दुखी तुरी का खपरैल मकान एवं दो कमरा पक्का मकान है।साथ ही आवेदक द्वारा उक्त निर्गत पर्चा के अन्दर कमरा निर्माण कारने हेतू चहारदिवारी किया जिसे लेकर उभय पक्षों में विवाद है। विवाद के कारण आवेदिका मुनवा देवी वगै0 वहाँ पर निवास नहीं कर रहे है।"

सम्पूर्ण अभिलेख, अंचल अधिकारी, सरिया का प्रतिवेदन, उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दायर Petition/Rejoinder/Written Statement एवं अन्य दस्तावेज के अवलोकन तथा परिशीलन के उपरांत निम्न तथ्य परिलक्षित होता है:–

1. अंचल अधिकारी, सरिया के पत्रांक 274 दिनांक 13.04.2024 के अनुसार अपीलार्थी का वादगत भूमि पर दखल है और पर्चाधारी के नाम से लगान रसीद भी निर्गत किया जा रहा है । उक्त के आलोक में दायर अपीलवाद विचारणीय है।

2. विपक्षीगण के इस कथन से कि आवेदक यहां पर इनके बाप दादा के समय से रह रहे हैं, से भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी वादगत भूमि पर एक लंबे अरसे से निवास कर रहे हैं एवं विपक्षी के पूवर्ज द्वारा भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, जिससे

अपीलार्थी के पक्ष मे निगर्त वासगीत पर्चा उचित प्रतीत होता है।

3. अंचल अधिकारी, सरिया के प्रतिवेदन एवं न्यायालय में दायर फोटोग्राफ से स्पष्ट होता है की अपीलार्थी का निर्माण कार्य अधूरा है एवं विवाद के कारण वह वहां पर आवासन नहीं कर पा रही हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अंचल अधिकारी, बगोदर के द्वारा वर्ष 1998 में निर्गत वासगीत पर्चा उचित प्रतीत होता है इसलिए अपीलार्थी द्वारा दायर अपीलीय आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, सरिया को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है ।

आदेश से सभी संबंधितो को अवगत करा दिया जाय।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

Digitally signed by Ramniwas Yadav
Date: 2025.12.11 19:44:56 +05:30
Location: 192.168.101.2